अज अदालत उपखण्ड अधिकारी [illegible]

मादू बनाम भैरू (वगैरा)

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र 111/128 नं० 205 सन् 2020

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.11.20	वाद / ~~प्रार्थनापत्र~~ बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 15.12.20 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल	
15.12.20	[illegible] पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पत्रावली [illegible] अतः [illegible] दिनांक 24.12.20 को पेश हो। रीडर [signature] उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
24.12.20	पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन / बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 29.1.21 को पेश हो।	
29.1.21	पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थीगण उपस्थित अप्रार्थीगण 1, 2, 4, 6 लगायत 13 के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शा० प० किये गये, वकील प्रार्थीगण के अधिवक्ता अप्रार्थी सं० 3 व 5 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नही चाहते है। अप्रार्थी सं० 1, 2, 4, 6 लगायत 13 को कितनी मर्तबा आवाजे दिलायी जाने के उपरान्त भी उपस्थित नही, इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार [illegible] पटवार हल्का माण्डल पटवारी द्वारा [illegible] जिसे शामिल पत्रावली किया गया। [illegible] में वकील प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय [illegible] लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	वि.प. 3 व 5 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहता हूँ [signature]

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.07.08 16:34:28 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी— श्री पूजा सक्सेना आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या — 205/20 प्रा.पत्र

—श्री माधु s/o श्री लोभा खारोल निवासी-माण्डल तहसील-माण्डल [भील]

—प्रार्थी

बनाम

श्री नेमा s/o हजारी खारोल निवासी-माण्डल तहसील-माण्डल [भील]
(संलंग्नित प्रा.पत्र संलग्न)

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक — 29-01-2021

::आदेश::

... की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन ... कि ग्राम ......माण्डल...... पटवार हल्का ......माण्डल...... तहसील माण्डल में उसके ... /संयुक्त खाते की आराजी नं. 1742,1743,1744,5168,5169,5348 कुल किता ...06... रकबा ...08... ...07... बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा ... नही होने से आये दिन सीमा संबधी विवाद उत्पन्न होता रहता है।जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त ... की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

... प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मे दिनांक 19.11.2020 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को ... कनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी ... का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख मे किसी प्रकार की हेरा—फेरी ... अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकर निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए ... की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

... प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम ...माण्डल... ... तहसील माण्डल मे उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 1742, ... हल्का ...माण्डल... ...4,5168,5169,5348 कुल किता ...06... रकबा ...08... बीघा ...07... ...बिस्वा भूमि के चारो तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का ... दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू—अभिलेख निरीक्षक...माण्डल... को ...450/-... — कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा ... कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके की यथास्थिति को बनाये ... ए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। ... होने पर पत्थरगढी नही की ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.07.08 16:34:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

... — तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार ... की जाकर पालना रिपार्ट 07 दिवस मे प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा